उच्च शिक्षा का संदर्भ और नई शिक्षानीति की ज़रूरत

डॉ. प्रतिमा*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आए काफी वक्त बीत चुका है। इस बीच हमारे सामने भूमंडलीकरण, बाज़ारवाद, उदारीकरण की नीतियाँ, आदि अनेक नए समीकरण चुनौतियों के रूप में सामने आए हैं। ऐसे में एक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब जबकि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को सबके सामने रख दिया है। तब यह और ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें छूट गए पहलुओं को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए सुझाव दें अथवा इस प्रारूप में जो खामियाँ हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए सुझाव दें। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति को लेकर एक लाख से अधिक सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं।

नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में दिए गए संदेश में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए कहा था कि 'यह एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है, जिससे देश के बच्चों और युवाओं का भविष्य रूपांतरित हो सकता है। भारत की 1.2 अरब जनसंख्या का लगभग आधा 26 वर्ष से कम है और 2026 तक यह संभावना है कि औसत आयु के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश होगा। ..लोगों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के बदलते परिदृश्य का सामना करने के लिए ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, तकनीकी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को नॉलेज सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना।'

इस संदेश में नई राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी निहित है और जब बात कौशल विकास की हो रही हो, तकनीकी ज्ञान देने की हो रही हो तब यह ध्यान रखना चाहिये की हमारी अब तक की शिक्षा नीति बहुत हद तक ज्ञान देने का उपक्रम करने के बावजूद भी कौशल और तकनीकी के मामले में काफी हद तक पिछड़ी हुई थी। संभवत यही कारण रहा होगा कि मंत्रालय ज्ञान के साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम करने जा रहा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति का संपूर्ण संक्षिप्त खाका जान लेना जरूरी है ताकि समझा जा सके कि पुरानी शिक्षा नीतियों की तुलना में इस नीति में क्या नया है।

31 मई 2019 को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में कस्तूरीरंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया और चूंकि पिछली शिक्षा नीति 3 दशक पहले आई थी, इसलिए वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया। जिसने वर्ष 2016 में नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप प्रस्तुत किया लेकिन किन्हीं वजहों से यह प्रारूप अनुकूलित नहीं हो पाया, तब यह काम अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन और उनकी टीम को सौंपा गया।

भारत में शिक्षा नीति

- शिक्षा में सुधार का दौर देश में आजादी के पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन यह सुधार औपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। उदाहरण के लिए मैकाले का घोषणा-पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 आदि। इसके साथ ही उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना मुश्किल होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् सभी तक शिक्षा की

* सहायक प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

पहुँच सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग तथा 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को स्थापित किया गया और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई।

- गौरतलब है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई।
- 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- वहीं 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की माँग चलती रही और समय-समय पर इसके लिए आन्दोलन होते रहे।
- शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को मिले इसके लिए शिक्षा को संवैधानिक दर्जा देने की माँग कई दशकों तक की गई। सरकार ने 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी जिसके बाद **RTE** यानी शिक्षा के अधिकार की राह खुल गई। हालाँकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था लेकिन यह अनिवार्य नहीं था।
- विदित हो कि अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया था। इस संदर्भ में 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसके पश्चात् 1 अप्रैल 2010 में जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 6-14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया ताकि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सके। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार बन जाने के बाद हालात में काफी सुधार हुआ है लेकिन यह योजना लक्ष्य से अभी-भी काफी पीछे है और सरकार तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
- ज्ञातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। हालाँकि बदलते दौर में देश की शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा कौशल आधारित शिक्षा पर भी जोर दे रही है।
- वर्ष 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्त्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। यही नहीं कम्प्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने में बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष करना भी लक्ष्य है।
- इसी की एक अगली कड़ी के रूप में सरकार ने 2015 तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य भी बनाया जिसके लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

- सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में विकास के साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना आज की नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएँ हैं।
- इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु पिछली सरकार ने 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया।

उच्च शिक्षा का संदर्भ

नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूपानुसार 2030 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान इन तीन प्रकार के संस्थानों में से किसी एक में परिवर्तित हो जाएंगे। अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और कॉलेज इस नीति के तहत कोई एकल विषय विश्वविद्यालय नहीं होगा, यहाँ तक कि पेशेवर संस्थानों को बहु-विषयक होना होगा। इस प्रकार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया जायेगा।

- टाइप 1: इसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- टाइप 2: इसके तहत अनुसंधान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- टाइप 3: उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केन्द्रित होगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम दो मिशनों द्वारा संचालित होगा- मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला।

2032 तक ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपनी डिग्री प्रदान करने में सक्षम होंगे। कॉलेज को अब विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस बिंदु पर इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मिशन नालंदा के तहत 2030 तक 100 अनुसंधान विश्वविद्यालय और 500 शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे। जो पूरे देश में समान रूप से वितरित होंगे। मिशन तक्षशिला के जरिये यह आश्वस्त किया जाएगा कि देश के हर जिले या उससे सटे इलाके में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षण संस्थान हो।

एक विवाद इसमें उल्लिखित चार साला पाठ्यक्रम को लेकर भी है चूँकि इसी सरकार द्वारा इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से हटाया गया था। नई शिक्षा नीति में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ शिक्षा शुरू की जाएगी।

छात्रों को विभिन्न विषयों में से व्यावसायिक और प्रोफेशनल विकल्प वाले विषयों को चुनने की आजादी होगी।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश कंप्यूटर आधारित, मॉडयूलर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। जिसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आयोजित करेगी और यह विभिन्न भाषाओं में वर्ष में कई बार होगा।

साथ ही नई शिक्षा नीति में अधूरे अनुसंधानों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

इस तरह यह शिक्षा नीति कुछ पुराने बिंदुओं को अपनाते हुए एक नए जगत् के लिए एक नई सोच के साथ एक नया शिक्षा एवं शिक्षण जगत् तैयार करने की कोशिश करती जान पड़ती है।

कस्तूरीरंगन समिति द्वारा दिए गए प्रारूप में कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में 5+3+3+4 का फॉर्मूला, राष्ट्रीय प्राधिकरण आयोग का गठन, शिक्षण के बहुविकल्पीय तरीकों पर विचार, रिमिडियल शिक्षण की व्यवस्था, नवोन्मेषी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर और तक्षशिला नालंदा मॉडल, साथ ही सबसे महत्त्वपूर्ण त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाने की बात की गई।

1993 की ऐतिहासिक यशपाल समिति की रिपोर्ट 'लर्निंग विदाउट बर्डन' (बोझ के बगैर सीखना) को आगे ले जाते हुए नई शिक्षा नीति छात्रों पर विषय सामग्री और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को कम करने का प्रयास करती है और रट्टू पढ़ाई को हतोत्साहित करती है। लिहाजा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा में जोर पाठ्यपुस्तकों को रटने पर नहीं बल्कि इसके बजाए अपनी पुस्तकों को समाज में क्रियान्वित करने के साथ ही अनुभव और विश्लेषण से सीखने पर होगा। नई शिक्षा नीति में कला, संगीत, दस्तकारी, खेल, योग और सामुदायिक सेवा सहित तमाम विषय पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे। इससे पहले की शिक्षा नीतियों में भी इनमें से कुछ विषय रखे गए थे लेकिन वहाँ ये विषय या तो गौण थे या वैकल्पिक। नई शिक्षा नीति इन्हें फोकस में लाने का प्रयास करती है। साथ ही पाठ्यक्रम बहुभाषा, प्राचीन भारतीय ज्ञान पद्धतियों, वैज्ञानिक सोच, नैतिक विवेक, सामाजिक जिम्मेदारी, डिजिटल साक्षरता आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

नई शिक्षा नीति बोर्ड परीक्षाओं के तनाव की अपेक्षा कौशल विकास और तकनीकीगत शिक्षा को काफी उदार तरीके से सीखने पर जोर देती है। इसके तहत छात्र कक्षा आठ और बारह के बीच साल में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं दे पाएंगे। बाद में, जब कंप्यूटरीकृत अनुकूल परीक्षा प्रणाली व्यापक रूप से मौजूद होगी, तब उन्हें बहुत-सी परीक्षाएं देने की इजाजत होगी, कम से कम 24 विषयों में, या औसतन एक सेमेस्टर में तीन। परीक्षा में केवल मूल क्षमताओं, बुनियादी शिक्षा, हुनर और विश्लेषण की परख की जाएगी। एनईपी कहती है, 'छात्रों को कोचिंग और रट्टा मारे बगैर आसानी से पास होना चाहिए'। नई शिक्षा नीति के मसौदे को देखने से पता चलता है कि यह 1964 की कोठारी रिपोर्ट से काफी प्रभावित है इसलिए इसमें कोठारी रिपोर्ट के कई बिंदुओं को विकसित किया गया है। एक अन्य बिंदु जिसका संबंध कोठारी रिपोर्ट से है वह है स्कूल परिसरों का निर्माण। जिसके तहत सरकारी स्कूलों को नए सिरे से बनाकर संगठनात्मक और प्रशासनिक इकाइयों में बदला जाएगा, जिन्हें स्कूल परिसर कहा जाएगा। इनमें एक सेकंडरी स्कूल (कक्षा 9-12 तक) होगा और उसके आसपास कई दूसरे स्कूल होंगे जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक की तालीम देंगे। स्कूल परिसर को अपने मातहत आने वाले सभी स्कूलों के अकादमिक और प्रशासनिक मामलों को संभालने की स्वायत्तता होगी और वे राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के तौर पर काम करेंगे। परिसर के तमाम स्कूल शिक्षकों के एक साझा समूह की सेवाएं ले सकेंगे, जिससे कम शिक्षण संसाधनों वाले स्कूलों की भरपाई हो सकेगी। हालांकि लोग इस शिक्षा नीति में अस्पष्टता होने का भी उलाहना देते हैं, मसलन प्रथम की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को लगता है कि एनईपी में प्राथमिक चरण के बाद स्कूली शिक्षा को लेकर साफ-साफ दिशानिर्देश नहीं हैं। वे कहती हैं, ''प्राथमिक चरण से ऊपर आगे की प्रमुख बातें तो लिख दी गई हैं मगर इन बातों का तानाबाना बुनकर एक सुसंगत और व्यापक रूपरेखा बनाने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है।'' दूसरी ओर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो किरण भट्टी का मानना है कि ''एनईपी ने कई उदात्त लक्ष्य तय किए हैं मगर यह स्कूल परिसर से शुरू होकर ठेठ जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण के बारे में कुछ नहीं कहती।''

उच्च शिक्षा में नालंदा-तक्षशिला मॉडल

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए, एनईपी में कुछ गगनचुंबी लक्ष्य हैं जैसे 2035 तक सकल दाखिला अनुपात 50 प्रतिशत (मौजूदा 25 प्रतिशत) करना, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को स्वायत्तता और देश के हर जिले में एक गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालय खोलना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनईपी तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का उदाहरण देती है, जिसमें देश-विदेश के हजारों छात्र-छात्राएं जीवंत बहु-विषयक वातावरण में अध्ययन कर रहे थे। यह प्रस्ताव करती है कि 2030 तक, सभी एचईआई, अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और कॉलेज इन तीन में से किसी एक प्रकार के संस्थान बन जाएं।

एक विश्वविद्यालय का मतलब होगा उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले बहु-विषयक एचईआई। विश्वविद्यालय एक विषयक नहीं होंगे; सभी विश्वविद्यालय, जिनमें प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, बहु-विषयक होंगे।

कस्तूरीरंगन का मानना है कि यह बहु-विषयक दृष्टिकोण भारतीय छात्रों को भविष्य के नौकरी बाजारों के लिए तैयार करेगा। वे कहते हैं, ''यह सोचें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे तकनीकी विकास के कारण नौकरियां बहुत बदल सकती हैं या गायब हो सकती हैं। एआई धीरे-धीरे परिष्कृत डोमेन-विशिष्ट कार्यों को संभालने में सक्षम होता जा रहा है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना और बहु-विषयक जानकारियां प्रदान करना जरूरी है, ताकि छात्रों को नई दुनिया में अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार किया जा सके।''

यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार उदारवादी शिक्षा में चार साल के बहु-विषयक स्नातक की डिग्री को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, जिसमें कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण होंगे। यह उसी तर्ज पर होगा जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश सिंह ने थोड़े समय के लिए लागू किया था, लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वामपंथी झुकाव वाले फैकल्टी के विरोध के कारण वह उसे वापस लेने पर मजबूर हुए थे। एनईपी, हालांकि, तीन वर्षीय पारंपरिक स्नातक डिग्री को जारी रखने की भी अनुमति देती है।

एनईपी इस बात को भी समझती है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कोई शोध नहीं हो रहा है और विभिन्न विषयों में पारदर्शिता, शोध के लिए प्रतिस्पर्धी समीक्षा के साथ फंडिंग की कमी है। अधूरे अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धी धन देने को एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। यह उन शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान के बीजारोपण, उसे पल्लवित-पुष्पित करने और सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य भी तय करेगा, जहाँ अनुसंधान फिलहाल शैशवावस्था में है। एनआरएफ को 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

हालांकि इस कदम की व्यापक सराहना की गई है, लेकिन विशेषज्ञों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'तवज्जो की कमी' के लिए एनईपी की आलोचना भी की है। उच्च शिक्षा मंच के संस्थापक ए.के. सेनगुप्ता कहते हैं, ''गंभीर समस्या यह है कि देश स्नातकों के रोजगार के लिए अनुपयुक्तता की समस्या से जूझ रहा है और शिक्षा तथा कौशल के बीच उचित पारस्परिक संबंध का अभाव है। एनईपी इस समस्या के बारे में बात तो करती है, पर दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं हैं।''

पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री एम.एम. पल्लम राजू ने भी यह कहा कि अकादमिक उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एनईपी में कुछ खास नहीं है और फैकल्टी और उद्योग के बीच आदान-प्रदान के संबंध में भी कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। वे कहते हैं ''इसके अलावा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक किसी भी औद्योगिक राष्ट्र की रीढ़ हैं और इन्हें मजबूत करने की सिफारिशें भी इसमें नहीं हैं।''

हालांकि, अन्य लोगों को लगता है कि सभी धाराओं को एक ही नियामक ''राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण या एनएचईआरए'' के तहत लाकर एनईपी वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवसाय के विस्तार को सुविधाजनक बना देती है। नारायण हेल्थ के अध्यक्ष और संस्थापक डॉ. देवी शेट्टी कहते हैं, ''दुनिया को 2030 तक 8 करोड़ पेशेवरों, स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता होगी। भारत को इनमें से एक बड़े हिस्से को वैश्विक मानकों का ज्ञान देने की आवश्यकता है ताकि वे वैश्विक बाजार के लिए उपलब्ध हो सकें। इस तरह के प्रशिक्षण के लिए नीतिगत प्रावधान होने चाहिए।''

दरअसल वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें 1992 तक काफी कुछ बदल गया था जो अब तक चली आ रही है। इतने सालों में वैश्विक रूप से जबरदस्त परिवर्तन का दौर चला है। ऐसे में कहीं भारत नए रूपों और शिक्षा की नई तकनीकों

को अपनाने में पिछड़ न जाए इसलिए जरूरत थी एक नई शिक्षा नीति की इसमें भी कोई शक नहीं कि इसमें अभी भी कई बिंदु विचारणीय हैं जिन पर लाखों सुझाव प्राप्त हुए हैं और अब अगला दौर इन सुझावों पर अमल करने में निहित होगा।

संदर्भ

1. प्रारूप, नई शिक्षा नीति 2019

   https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_HI.pdf

2. **https://aajtak.intoday.in/story/national-education-policy-nep-online-board-examination-ashish-dhawan-ncert-1-1095555.html**
3. **https://www.drishtiias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/proposed-national-education-policy**
4. **https://educationmirror.org/2019/06/01/ten-important-suggestions-in-draft-national-education-policy-2019-india/**
5. **https://www.dhyeyaias.in/current-affairs/perfect-7-magazine/new-education-policy-2019**

□□□□